डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई मुकाम–बांदीकुई

जज इजलास रामसिंह राजावत आर.ए.एस. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

उनवान – केहर सिंह बनाम बलवीर सिंह

दावा इस्तकरार हक एवं तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं – पु.न. 187/2020 न्यायालय हजा में दर्ज 251/2022

आदेश है कि वादी वाद दावा उद्घोषणा का स्वीकार किया जाकर खाता संख्या नया 65 पुराना 33 के खसरा नम्बर 751/434, 754/435 किता 2 रकबा 0.1000 है. ग्राम् बासड़ा तथा खाता संख्या नया 54 पुराना 33 के खसरा नम्बर 438, 439, 440,441,442,443, 750/434, 753/435 कुल किता 8, रकबा 3.200 हैक्टेयर वाके ग्राम बासड़ा, खाता संख्या नया 25 पुराना 22 के खसरा नम्बर 260, 261, 261/714, 262, 263,264, 265 ,266, 267, 268,269,298,289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 464, 469, 540, 541, 542 कुल किता 24 कुल रकबा 10.57 ग्राम बासड़ा खाता संख्या नया 33 पुराना 32 के खसरा नम्बर 1172, 1173, 1174, 1175, 1178, 1179, 1180, 1189, 1249, 1250, 1251, 1258, 1259, 1260, 1261,1262, 1263 ,926,927, कुल किता 19 कुल रकबा 8.96 हैक्टे ग्राम सुपदीन तथा खाता संख्या नया 18 पुराना 15 के खसरा नम्बर 936, 937, 942, 943, 944, 944/1158, 945, 946, 947, कुल किता 9 रकबा 4.1300 हैक्टेयर , ग्राम सोडाला में पैतृक सम्पत्ति होने प्रतिवादी संख्या 1 बलवीर पुत्र हरिकिशन के हिस्से में से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 2 खुशीराम पुत्र बलवीर का हिस्सा तय किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 वादी के पिता खुशीराम पुत्र बलवीर के हिस्से में से वादी को 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बांदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे, प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वादी के हिस्से में आयी भूमि पर किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा न करे। पर्चा डिक्री जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 30.01.2026 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मिज मुबलिग बाबत् खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करे। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30 माह 01 सन् 2025 को जारी की गई।

(रामसिंह राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
(बांदीकुई)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा नकल मुहन्नाना वकील खर्चा तलबाना फीस कमिश्नर बजाज इजराय हुक्मनामा मुतफरिक फीजान	निल	निल	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी मुहन्नाना वकील खर्चा तलबाना फीस कमिश्नर बजाज इजराय हुक्मनामा मुतफरिक फीजान	निल	निल

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई

मु.न 187/2020
न्यायालय हाजा मे दर्ज 251/2022
निर्णय दिनाक 30.01.2025

उनवान

1 केहरसिंह आयु 25 वर्ष लगभग पुत्र खुशीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम बासड़ा तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई ।

– वादी

बनाम

1. बलवीर आयु 64 वर्ष लगभग पुत्र हरी किशन जाति समस्त
2. खुशी राम आयु 46 वर्ष लगभग पुत्र बलवीर गुर्जर निवासी
3. तुलसीराम आयु 43 वर्ष लगभग पुत्र बलवीर
4 पेमाराम आयु 39 वर्ष लगभग पुत्र बलवीर
5 धर्म सिंह पुत्र हरिकिशन फौत के बजाय जिला दौसा।
5/1 प्रेम पत्नि स्व० धर्मसिंह 1 जाति गुर्जर निवासी
5/2. राजेन्द्र पुत्र स्व० धर्मसिंह
5/3. गीता पत्नि कैलाश जाति गुर्जर निवासी गढ़मोरा हाल निवासी महेश नगर जयपुर ।
5/4. रसाल पत्नि अजय कुमार जाति गुर्जर निवासी गढ़मोरा हाल निवासी प्रेमनगर जयपुर
5/5. गौरा पत्नि निहालसिंह जाति गुर्जर निवासी दौगड़ा तहसील बाँदीकुई जिला दौसा ।
5/6. पुष्पा पत्नि मोहन जाति गुर्जर निवासी दौगड़ा तह० बाँदीकुई जिला दौसा
6. रामकिशोर आयु 64 वर्ष पुत्र हरी किशन
7 महेन्द्र आयु 59 वर्ष
8. सुरेन्द्र आयु 49 वर्ष
9. हुकम सिंह आयु 46 वर्ष
10. हनुमानसिंह आयु 39 वर्ष
11. सुरेश आयु 31 वर्ष
12. गिरधारी पुत्र गिरधारीलाल फौत के बजाय रू–
12/1 गोरधन पुत्र स्व० गिरधारी
12/2 सुमेर पुत्र स्व० गिरधारी
12/3 महेश पुत्र स्व० गिरधारी 8
12/4 शीला पुत्री स्व० गिरधारी
12/5 प्रेम पत्नि स्व० गिरधारी 8
13. भैरूसिंहआयु 56 वर्ष पुत्र किशनलाल

14. गिर्राज पुत्र हरगोविन्द फौत के बजाय:-
14/1 प्रभाती देवी आयु 83 वर्ष पत्नि स्व० गिर्राज
14/2 सुरेश आयु 28 वर्ष
14/3 जयसिंह आयु 63 वर्ष
14/4 घुटटन आयु 59 वर्ष
14/5 शिवचरण आयु 50 वर्ष
15. राम सिंह आयु 64 वर्ष पुत्र हरीसिंह
16 नेपाल सिंह
17. शम्भू आयु 43 वर्ष पुत्र नन्दलाल
18 माधोलाल आयु 39 वर्ष पुत्र नन्दलाल
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार एवरा उप पंजीयक बसवा तहसील बसवा
20. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बाँदीकुईहाल भारतीय स्टेट बैंकशाखा बाँदीकुई जरिये मैनेजर बाँदीकुई ।
21. भारतीय स्टेट बैंक शाखा बाँदीकुई जरिये मैनेजर
22 दी सेन्ट्रल को - आपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा बाँदीकुई जरिये मैनेजर ।
23. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बाँदीकुई जरिये मैनेजर
24. दौसा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० शाखा बाँदीकुई ।
25 पंजाब नेशनल बैंक शाखा विवाई जरिये मैनेजर ।

तरतीबी प्रतिवादीगण

उपस्थित:- वादी अधिवक्ता श्री जगदेव कसाना एडवोकेट
प्रतिवादी अधिवक्ता श्री अमर सिंह गुर्जर एडवोकेट

दावा इस्तकरार हक, तकास्मा एवम हुक्म इम्तनाई दवामी

निर्णय

दिनांक 30.01.2026

वाद वादी दावा इस्तकरार हक, तकास्मा एवम हुक्म इम्तनाई का न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई के न्यायालय में पेश किया गया उक्त प्रकरण शीघ्र सुनवाई हेतु न्यायालय हाजा में स्थानान्तरित होकर पेश हुआ। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:- पक्षकारान एक ही हिन्दु मुश्कर्ता खान दान के कापार्सनरस सदस्य है तथा कुटुम्बी भाई बन्धु है सजरा खानदान निम्न प्रकार है:-

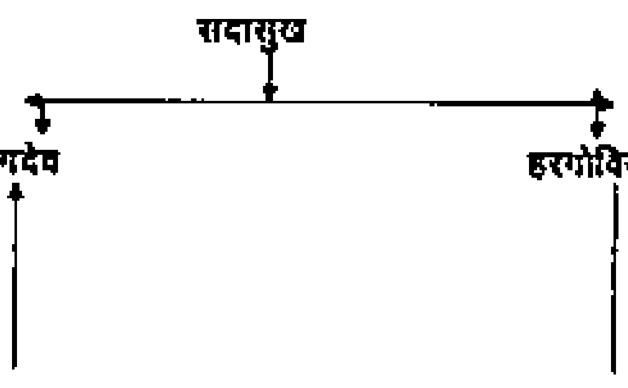

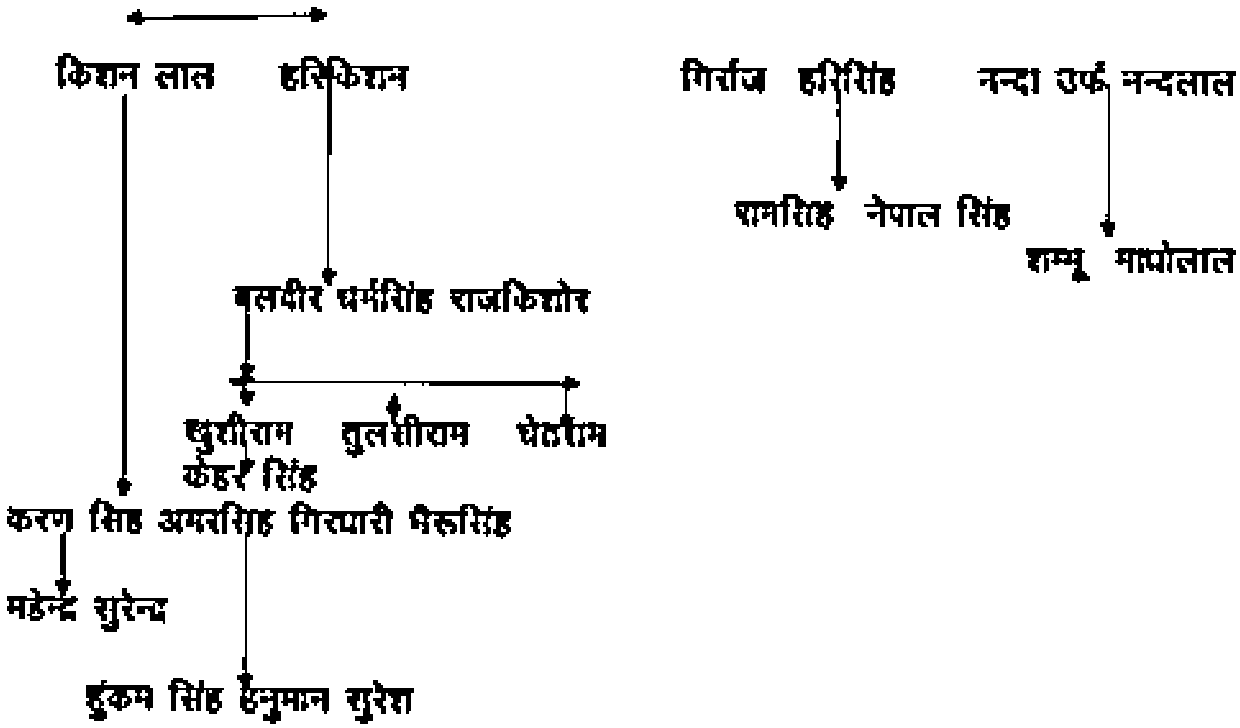

पक्षकारान का कामन एनसेस्टर सुखासुख था जिसके हस्ब सजरा पक्षकारान वारिसान है जिनका अविभाजित संयुक्त हिन्दु खानदान एवं परिवार है जिनके हिन्दु मुश्तर्का खानदान की पुश्तैनी कापार्सनरी सम्पत्ति काश्त आराजियात वाके ग्राम मौजा बासड़ा तहसील बस्सी तथा वाके ग्राम मौजा झुपडीन तथा ग्राम मौजा खोड़ाला जिनका खुलासा विवरण निम्नांकित दर्ज है। पक्षकारान के हिन्दू मुश्तर्का खानदान की अविभाजित पुश्तैनी कोपार्सनहरी सम्पति काश्त आराजियात नया खाता संख्या नया 55 पुराना 33 के खसरा नम्बरान 751/434 रकबा 0.0200 बंजड़, खसरा नम्बर 754/435 कुल किता 2 कुल क्षेत्रफल 0–1000 वाके ग्राम मौजा बासड़ा जिसके सैटिलमेन्ट सम्वत 2050 –55 से पूर्व खसरा नम्बर 610 रहे थे।

पक्षकारान के हिन्दू मुश्तर्का खानदान की अविभाजित पुश्तैनी कोपार्सनी सम्पति काश्त आराजियात नया खाता संख्या 54 पुराना 33 के खसरा नम्बर 438 रकबा 0.3100 हैक्टे० चाही तीन, जाब 3, खसरा नम्बर 439 रकबा 0–3500 हैक्टे० चाही 3 जाब 3, खसरा नम्बर 440 रकबा 0.3400 हैक्टे० बंजड़, खसरा नम्बर 441 रकबा 0.0100 हैक्टे० गैर मुमकिन बोरिंग, खसरा नम्बर 442 रकबा 0.0100 हैक्टे० बारानी 2, खसरा नम्बर 443 रकबा 0.7700 हैक्टे० चाही 3, खसरा नम्बर 750/434 रकबा 0.1100 हैक्टे० बंजड़, खसरा नम्बर 753/435 रकबा 13600 हैक्टे० चाही 3 कुल किता खसरा नम्बर 8 कुल रकबा 3.2600 हैक्टे० जिसके सैटिलमेन्ट सम्वत 2050–55 से पूर्व खसरा नम्बर 610 रहे है। खाता संख्या नया 25 पुराना 22 के खसरा नम्बर 260,261,261/714, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 288, 289, 290, 291,292 ,293, 294, 295,464,469,540,541,542, कुल किता 24 कुल रकबा 10. 5100 हैक्टेयर ग्राम मौजा बासड़ा जिसके सैटिलमेन्ट सम्वत 2050–55 से पूर्व खसरा नम्बर

494,499,488,489, 612 तथा 631 रहे थे। खाता संख्या नया 33 पुराना 32 के खसरा नम्बर 1172,1173,1174,1175,1178,1179,1180,1189,1249,1250,1251,1258,1259,1260,1261,1262, 1263,926,927, कुल किता 19 कुल क्षेत्रफल 8.9800 हैक्टेयर वाकै रामा झुपडीन जिसके सैटिलमेन्ट सम्वत से पुर्व खसरा नम्बर 565,649,547 रहे थे। खाता संख्या नया 18 पुरानया 15 के खसरा नम्बर 936, 937, 942, 943, 944, 944/1158 945, 946, 947, कुल किता 9 कुल रकबा 4.1300 जिसके सैटिलमेन्ट सम्वत 2050-55 से पूर्व 421 रहे थे। भूमि वादग्रस्त पैरा संख्या 3 ए लगायत 3 ई का अभी तक भरस नरस तकासमा नही हुआ है तथा पक्षकारान अपनी मन समाई से अपने हिस्से अनुसार शामिल मे काश्त करके मुस्तफीद होते चले आ रहे है। अब पक्षकारान छोटी छोटी बातो को लेकर आपस मे विवाद होने लगा है तथा प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत 4 वादी को अपने हिस्से की भूमि में शान्ती पूर्वक काबिज काश्त होकर मुस्तफीद होने में व्यवधान उत्पन्न करते है तथा उन्हे बंटवारा हेतु कहने पर ये इन्कार है अतः दावा हाजा प्रस्तुत करना लाजिम आया है।

हस्ब हिन्दू लॉ कि मिताक्षरा स्कुल के तथा समाज एवं राजस्थान मे पुरातन समय से लगातार प्रचलित वाजिब एव कानूनी मान्यता प्राप्त कस्टम के मुताबिक वादी को उसके जन्म लेते ही उपरोक्त वर्णित कोपनार्सनरी सम्पत्ति काश्त भूमि वादग्रस्त दर्ज पैरा संख्या 3 ए खाता संख्या नया 55 पुराना 33 रामा बारावा 1/24 तथा भूमि खाता संख्या नया 54 पुराना 33 रामा बारावा 1/12 खाता संख्या 25 पुराना 22 बासडा 1/48 खाता संख्या नया 33 पुराना 32 झुपडीन हिस्सा 1/48 खाता संख्या नया 18 पुराना 15 सोडाला में 1/48 प्राप्त हो गया है जिसका वादी काबिज खातेदार काश्तकार है लेकिन अभी खातेदारी वादी के दादा बलवीर प्रतिवादी के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है तथा बलवीर प्रतिवादी ने दिनांक 17.03. 2019 को अपनी स्वेच्छा से अपने परिवार तथा गाव के पंच पटेलान एवं मौजीज लोगो के बीच एक सौ रूपये के स्टाम्प पर लिखावट लिख कर भूमि उपरोक्त वर्णित तथा अन्य सम्पत्ति में भी वादी का हक हिस्सा कब्जा काश्त एवं खातेदारी स्वीकार किया है तथा यह भी कौल किया है कि वह भूमि वादग्रस्त उपरोक्त वर्णित तथा अन्य सम्पत्ति के किसी भी हिस्से को कसी भी प्रकार अन्तरण नही करेगा। इसी प्रकार वादी के पिता खुशीराम तथा दादा बलवीर सिंह ने अन्य गांव के व परिवार के लोगों ने दिनाक 5.3.2009 को न्यायालय श्रीमान एवं सत्र न्यायाधीश दौसा के समक्ष भी भूमी वादग्रस्त उपरोक्त वर्णित वादी का हक हकुक खातेदारी कब्जा काश्त एवं अधिकार स्वीकार करके राजीनामा प्रस्तुत किया है जिसे माननीय उक्त न्यायालय ने उसी दिन स्वीकार कर तस्दीक किया है लेकिन अब प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत 4 के मन में बददेहान्ती आ गयी है तथा वे जबरन जो जब से अपने कौल से पलट रहे है तथा आये दिन वादी की माता केशन्ता देवी तथा वादी के साथ जबरन लड़ाई झगड़ा मारपीट करते है तथा वादी की माता की सरे आम इज्जत हतक करते है जिसकी बाबत उनके विरूद्ध मुकदमे भी दाखिल किये गये है जिन्हे पुलिस ने सही होना माना है तथा न्यायालय में चालान भी पेश किया है तथा अब वे वादी को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने की दुर्भावना से वादी की कार काश्त में मजाहमत करने लगे है। वादी ने अपने हिस्से की भूमि वादग्रस्त में मौजूदा समय में बाजरे . मुग, मरीना की फसल काश्त कर रखी है जो मौके पर खड़ी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 जबरन उलटने तथा बर्बाद करने को आमादा हो रहे है जिस हेतु वे दिनांक 23.08.2020 को दोपहर के समय एक राय व एक

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट

मुस्त होकर ट्रेक्टर चलाकर वादी की उगी हुयी फसल बाजरा को जबरन उलटने एवं बर्बाद करने को आमादा हो गये तो गाव के लोगो ने रोका लेकिन उन्होने फिर भी एलानिया धमकी दी है कि वे वादी को उसके हिस्से की भूमि से यथा शीघ्र बेदखल करेगे तथा भूमि वादग्रस्त में दर्ज प्रतिवादी बलवीर के नाम खातेदारी लाभ उठाकर भूमि वादग्रस्त को किसी दीगर सख्स या संस्था को रहन बय करगे तथा अन्तरण करेगे। ऐसी सूरत में वादी को तुरन्त ही दावा हाजा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी संख्या 20 लगायत 25 के पास पक्षकारान द्वारा रहन कर रखा इसलिये उनको पक्षकारा बनया है।

अत: यह घोषित किया जावे कि वादी भूमि वाद ग्रस्त पैरा संख्या 3 ए खाता संख्या नया 55 पुराना 33 के खसरा नम्बर 751/434, 754/435 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1000 हैक्टे० ग्राम बारावडा में वादी का हिस्सा 1/24 हिस्सा तथा खाता संख्या नया 54 पुराना 33 के खसरा नम्बर 438, 439, 440, 441, 442, 443, 750/434, 753/455 कुल किता 8 कुल रकबा 3.2600 हैक्टे० ग्राम बारावडा मे वादी का 1/12 हिस्सा तथा खाता संख्या नया 25 पुराना 22 के खसरा नम्बर 260, 261, 261/714, 262, 263, 264, 265 266, 267, 268, 269, 286, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 464, 469, 540, 541, 542, कुल किता 24 कुल रकबा 10.5700 हैक्टे० ग्राम बारावडा में वादी का 1/48 हिस्सा तथा खाता संख्या नया 33 पुराना 32 के खसरा नम्बर 1172, 1173, 1174, 1175, 1178, 1179, 1180, 1189, 1249, 1250, 1251, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 926, 927 कुल किता 19 कुल रकबा 8.9800 हैक्टे० ग्राम मुफदीन वादी का हिस्सा 1/48 हिस्सा तथा खाता संख्या नया 18 पुराना 15 के खसरा नम्बर 936, 937, 942, 943, 944, 944/1158, 945, 946, 947 कुल किता 9 कुल रकबा 4.1300 वाके ग्राम सोहाला में वादी का 1/48 हिस्सा है तथा उपरोक्त वर्णित हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार है तदनुसार खाते जमाबन्दी इत्यादि राजस्व रिकार्ड कराने का मुस्तहक अधिकारी है। जो दर्ज करायी जावे।

भूमि वादग्रस्त का पक्षकारान के मध्य उनके उपरोक्त वर्णित हिस्से अनुसार विधिवत रास्ता नरसा तकास्मा किया जाकर अलग अलग खाते खतौनी अलग अलग जमाबन्दी, अलग अलग पास बुक बनायी जाये व लगान का भी बटवारा अलग अलग किया जावे ।

प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस अमर से पाबन्द किया जावे कि वे वादी को उसके हक हकूक खातेदारी हिस्से की भूमि वादग्रस्त से जबरन बेदखल करने से अथवा उसमे वादी के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में माने अथवा मजाहमत करने से तथा उसमे उगी हुयी वादी की फसल एवम पेडों को नुकसान पहुँचाने से बाज व मुमतनाह रहें तथा भूमि वादग्रस्त के किसी भी हिस्से को किसी भी शख्स या संस्था को किसी भी प्रकार रहन बय करने से बाज व मुमतनाह रहें । तथा प्रतिवादी संख्या 5 प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 द्वारा करवाये गये ऐसे किसी रहन बय हस्तान्तरण के दस्तावेज को पजीकृत करने से बाज व मुमतनाह रहे।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 1,5,6 की ओर से श्री अमर सिंह गुर्जर एडवोकेट की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 2,3,4,7,8,9,10,11,13,15,16,17,18 की एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 22.08.2022 को की

गई तथा प्रतिवादी संख्या 12/ लगा. 12/5 एंव 14/1 लगायत 14/4 दिनाक 22.04.2022 एव प्रतिवादी संख्या 14/5 की दिनांक 09.01.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 05, 06 का जवाब पेश नही होने पर उनका जवाब बन्द किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब पेश हुआ जो संक्षिप्त में निम्न प्रकार है:- जवाब दावे का पैरा नं. 01 सिजरा खानदान स्वीकार है। जवाब दावे का पैरा नं. 02 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। जवाब दावे का पैरा नं. 03 ए में वर्णित कथन अभिलेखीय है। जवाब दावे का पैरा नं. 03 बी मे वर्णित कथन अभिलेखीय है। जवाब दावे का पैरा नं. 03 सी मे वर्णित कथन अभिलेखीय है। जवाब दावे का पैरा नं. 03 डी में वर्णित कथन अभिलेखीय है। जवाब दावे का पैरा नं. 03 ई में वर्णित कथन अभिलेखीय है। जवाब दावे का पैरा नं 04 में वर्णित कथन स्वीकार है। जवाब दावे का पैरा नं. 05 में वर्णित कथन अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी स. 01 अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा प्रतिवादी सं. 01 के पुत्र खुशीराम, तुलसीराम, चेतराम मिन प्रतिवादी के साथ शामलात में काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा भूमि पर प्रतिवादी सं 01 व उनके पुत्रों के जीवनकाल में वादी को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होने से दावा खारिज होने योग्य है। जवाब दावे का पैरा नं 06 मे वर्णित कथन गतई गलत है अस्वीकार है। हिन्दु कौपार्सनर सम्पति में पिता के जीवनकाल मे पुत्र को खातेदारी उद्‌घोषणा कराने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। भूमि अभी प्रतिवादी सं 01 के नाम है तथा प्रतिवादी सं. 02, 03, 04 प्रतिवादी सं. 01 के साथ काश्त करने के अधिकारी है। कानूनन वादी के पिता प्रतिवादी सं. 02 को अभी खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हुए है तो वादी किसी प्रकार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी द्वारा उक्त वाद अपनी माँ केसन्ता के बहकावे मे आकर मिन प्रतिवादीगण को हैरान परेशान करने की गरज से प्रस्तुत किया है जो निरस्त होने योग्य है। प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार का कोई उद्‌घोषणा बाबत राजीनामा प्रस्तुत नही किया। प्रतिवादी द्वारा वादी की माता केसन्ता देवी के द्वारा प्रतिवादी के घर पर शान्तिपूर्वक रहने पर अपने हिस्से मे से काश्त करने हेतु सहमति प्रदान की थी जिस पर प्रतिवादी आज भी कायम है, किन्तु वादी व उसकी माता केसन्ता देवी आये दिन मिन प्रतिवादी से झगड़ा फिसाद कर मारपीट करते है। जवाब दावे का पैरा नं. 07 में वर्णित कथन कत्ई गलत है स्वीकार नही है। वादी कभी भी भूमि काश्त पर काबिज नही रहा व अपने माँ के साथ अपने मामाओं के पास रहता है तो काश्त करने तथा झगड़ा फिसाद करने वाला कथन कत्ई गलत है। जवाब दावे का पैरा नं. 08 मे वर्णित कथन जिस प्रकार वर्णित स्वीकार नही है। प्रतिवादी स. 19 वादी के कथनोनुसार आवश्यक पक्षकार है तथा राजस्थान सरकार के विरूद्ध दावा दायरी से 60 दिवस पूर्व धारा 80 (2) जा.दी. का नोटिस दिया जाना विधि सम्मत है नोटिस के अभाव में दावा व प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज होने योग्य है। जवाब दावे का पैरा नं. 09 में वर्णित कथन कत्ई गलत है स्वीकार नही वादी का वादग्रस्त सम्पति पर किसी प्रकार का कोई कब्जा व काश्त नही है तथा समस्त कथन मनगढन्त है। कि जवाब दावे का पैरा नं 10 कानूनी है जवाब मोहताज नही है। जवाब दावे का पैरा न 11 कानूनी है जवाब मोहताज नही है। जवाब दावे का पैरा नं. 12 में वर्णित कथन कत्ई गलत है। वादीको कोई वाद हेतुक उत्पन्न नही हुआ। वादी द्वारा अपने मामाओं के यहा रहने से तथा अपने पिता व दादा के जीवनकाल मे किसी प्रकार की उद्‌घोषणा कराने का अधिकारी नहीं होने से तथा वादी का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नही होने से

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
...

किसी प्रकार का कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होने से दावा खारिज होने योग्य है।इस्तदुआ क, ख, ग, घ, ङ कतई गलत है अस्वीकार है। विशेष कथन वादग्रस्त सम्पत्ति में मिन प्रतिवादी सं. 01 का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे इन्द्राज हो रहा है तथा मौके पर मुताबिक राजस्व रिकार्ड अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा अपने हिस्से पर प्रतिवादी सं. 01 व प्रतिवादी सं. 02 लगा. 04 के साथ भूमि पर काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादी की माता केसन्ता देवी व प्रतिवादी सं 02 के मध्य आपसी वैचारिक मतभेद होने से तथा केसन्ता देवी द्वारा प्रतिवादी स. 02 व अन्य परिवारजन से झगडा फिसाद करने तथा प्रतिवादी सं 02 के विरूद्ध न्यायालय में भरण–पोषण व अन्य मुकदमे दर्ज कराने तथा वादी द्वारा उक्त कृत्य मे केसन्ता देवी का सहयोग करने तथा भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नही होने से तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध दबाव बनाने से तथा हैरान परेशान करने की गरज से कतई झूठा दावा प्रस्तुत किया है जो निरस्त होने योग्य है। वादग्रस्त सम्पत्ति मे प्रतिवादी सं. 01 के जीवनकाल में तथा बिना वादी के पिता को अधिकार मिले बिना वादी को कानूनन दावा लाने का कोई विधिक अधिकार नही होने से व वाद कारण उत्पन्न नही होने से दावा विधि द्वारा वर्जित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान जी की सेवा में जवाब दावा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण का उक्त जवाब पेश होने पर प्रकरण मे निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गई –

तनकी संख्या 1 आया वादी वादग्रस्त खाता संख्या नया 55 पुराना 33 के खसरा नम्बर 751/434,754/435 किता 2 रकबा 0.1000 है. ग्राम बासड़ा में वादी का 1/24 हिस्सा तथा खाता संख्या 54 पुराना33 के खसरा नम्बर 438,439,440,441,442,443,750/434,753/435 कुल किता 8 रकबा 3.200 हैक्टेयर वाके ग्राम बासड़ा मे वादी का 1/12 हिस्सा तथा खाता संख्या नया 25 पुराना 22 के खसरा नम्बर 260, 261, 261/741, 262, 263, 264, 265 ,266, 267,268, 269,280,289, 290, 291, 292, 293, 294,295, 464, 469, 540, 541, 542 कुल किता 24 कुल रकबा 10.57 ग्राम बासड़ा मे वादी का हिस्सा 1/48 खाता संख्या नया 33 पुराना 32 के खसरा नम्बर 1172, 1173, 1174, 1175, 1178, 1179, 1180, 1189, 1249, 1250, 1251, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 926, 927, कुल किता 19 कुल रकबा 6.98 हैक्टे ग्राम झुपडीन में वादी का हिस्सा 1/48 तथा खाता संख्या नया 18 पुराना 15 के खसरा नम्बर 936, 937, 942, 943, 944, 944/1158, 945, 946, 947, कुल किता 9 रकबा 4.1300 हैक्टेयर ग्राम सोढाला मे वादी का 1/48 हिस्सा है उपरोक्त वर्णित हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार है तदानुसार खाते खतौनी जमाबन्दी इत्यादि राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी है। .... वादी

तनकी संख्या 2 आया वादी भूमि वादग्रस्त जिम्मन नम्बर 3ए लगायत 3 ई का पक्षकारान के मध्य उनके उपरोक्त वर्णित हिस्से अनुसार विधिवत सरसा–नरसा तकासमा करवाने का अधिकारी है। वादी ....।

तनकी संख्या 3 आया प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। वादी ....।

तनकी संख्या 4. आया हिन्दु कौपार्सनर सम्पत्ति मे पिता के जीवन काल मे पुत्र को खातेदारी उद्घोषणा कराने का कोई विधिक अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 1

प्रकरण मे तनकीयात कायम होने के बाद प्रकरण वादी साक्ष्य पर नियत किया गया वादी की ओर स्वय साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य पर नियत किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पेश नही करने पर प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की जाकर प्रकरण बहस पर नियत किया गया बहस सुनी गई।

दौराने बहस वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र को दोहराते हुये तर्क किया है कि पक्षकारान हिन्दु मुश्तर्का खानदान के कापार्सनरस सदस्य है वादग्रस्त भूमि हिन्दु खानदान की पुश्तैनी भूमि है। वाद ग्रस्त भूमि हस्ब हिन्दु लॉ कि मिताक्षरा स्कूल के तथा समाज एवं राजस्थान मे पुरातन समय से लगातार प्रचलित वाजिब एवं कानूनी मान्यता प्राप्त कस्टम के मुताबिक वादी को उसके जन्म लेते ही उपरोक्त वर्णित कोपनार्सनरी सम्पत्ति काश्त भूमि वादग्रस्त दर्ज पैरा संख्या 3 ए खाता संख्या नया 55 पुराना 33 रामा बासड़ा 1/24 तथा भूमि खाता संख्या नया 54 पुराना 33 रामा बासड़ा 1/12 खाता संख्या 25 पुराना 22 बासड़ा 1/48 खाता संख्या नया 33 पुराना 32 मुफ्दीन हिस्सा 1/48 खाता संख्या नया 16 पुराना 15 सोड़ाला में 1/48 प्राप्त हो गया है। लेकिन अभी खातेदारी वादी के दादा बलबीर प्रतिवादी के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है तथा बलबीर प्रतिवादी ने दिनांक 17.03.2019 को अपनी स्वेच्छा से अपने परिवार तथा गांव के पंच पटेलान एवं मौजीज लोगो के बीच एक सौ रूपये के स्टाम्प पर लिखावट लिख कर भूमि उपरोक्त वर्णित तथा अन्य सम्पत्ति में भी वादी का हक हिस्सा कब्जा काश्त एवं खातेदारी स्वीकार किया है तथा यह भी कौल किया है कि यह भूमि वादग्रस्त उपरोक्त वर्णित तथा अन्य सम्पत्ति के किसी भी हिस्से को किसी भी प्रकार अन्तरण नही करेगा। इसी प्रकार वादी के पिता खुशीराम तथा दादा बलबीर सिंह ने अन्य गांव के व परिवार के लोगों ने दिनांक 5.3.2009 को न्यायालय श्रीमान एवं सत्र न्यायाधीश दौसा के समक्ष भी भूमी वादग्रस्त उपरोक्त वर्णित वादी का हक हकुक खातेदारी कब्जा काश्त एवं अधिकार स्वीकार करके राजीनामा प्रस्तुत किया है जिसे माननीय उक्त न्यायालय ने उसी दिन स्वीकार कर तस्दीक किया है लेकिन अब प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत 4 के मन में बददेहान्ती आ गयी है तथा वे अपने कौल से पलट रहे है तथा आये दिन वादी की माता कैलाशा देवी तथा वादी के साथ जबरन लड़ाई झगड़ा मारपीट करते है तथा वादी की माता की सरे आम इज्जत हतक करते है। वाद स्वीकार किया जाकर वादी के हिस्से की उद्घोषणता की जावे। बहस के दौरान वादग्रस्त भूमि मे तकासे की इस्तदुआ डिलिट करने का निवेदन किया गया।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब दावे को दोहराते हुये तर्क किया है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी सं 01 अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा प्रतिवादी सं. 01 के पुत्र खुशीराम, तुलसीराम, चेतराम प्रतिवादी के साथ शामलात मे काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा भूमि पर प्रतिवादी सं. 01 व उनके पुत्रों के जीवनकाल में वादी को किसी प्रकार का कोई अधिकार नही होने से दावा खारिज होने योग्य है। हिन्दु कौपार्सनर सम्पत्ति मे पिता के जीवनकाल मे पुत्र को खातेदारी उद्घोषणा कराने का कोई विधिक अधिकार नही है। भूमि अभी प्रतिवादी सं 01 के नाम है तथा प्रतिवादी सं. 02, 03, 04

प्रतिवादी स. 01 के साथ काश्त करने के अधिकारी है। कानूनन वादी के पिता प्रतिवादी सं 02 को अभी खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हुए है तो वादी किसी प्रकार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी द्वारा उक्त वाद अपनी माँ केसन्ता के बहकावे में आकर मिन प्रतिवादीगण को हैरान परेशान करने की गरज से प्रस्तुत किया है जो निरस्त होने योग्य है। प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार का कोई उद्घोषणा बाबत राजीनामा प्रस्तुत नही किया। प्रतिवादी द्वारा वादी की माता केसन्ता देवी के द्वारा प्रतिवादी के घर पर शान्तिपूर्वक रहने पर अपने हिस्से में से काश्त करने हेतु सहमति प्रदान की थी जिस पर प्रतिवादी आज भी कायम है, किन्तु वादी व उसकी माता केसन्ता देवी आये दिन मिन प्रतिवादी से झगडा फिसाद कर मारपीट करते है। वादी कभी भी भूमि काश्त पर काबिज नही रहा व अपने माँ के साथ अपने मामाओं के पास रहता है अतः दावा खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण का तनकी वार निर्णय निम्न प्रकार है:-

तनकी संख्या 1 आया वादी वादग्रस्त खाता संख्या नया 55 पुराना 33 के खसरा नम्बर 751/434,754/435 किता 2 रकबा 0.1000 है. ग्राम बासडा मे वादी का 1/24 हिस्सा तथा खाता संख्या 54 पुराना33 के खसरा नम्बर 438, 439, 440, 441 ,442, 443, 750/434, 753/435 कुल किता 8 रकबा 3.200 हैक्टेयर वाके ग्राम बासडा में वादी का 1/12 हिस्सा तथा खाता संख्या नया 25 पुराना 22 के खसरा नम्बर 260, 261, 261/741, 262, 263, 264, 265 ,266, 267,268, 269,288,289, 290, 291, 292, 293, 294,295, 464, 469, 540, 541, 542 कुल किता 24 कुल रकबा 10.57 ग्राम बासडा में वादी का हिस्सा 1/48 खाता संख्या नया 33 पुराना 32 के खसरा नम्बर 1172, 1173, 1174, 1175, 1178, 1179, 1180, 1189, 1249, 1250,1251, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 926, 927, कुल किता 19 कुल रकबा 6.98 हैक्टे ग्राम झूपडीन में वादी का हिस्सा 1/48 तथा खाता संख्या नया 18 पुराना 15 के खसरा नम्बर 936, 937, 942, 943, 944, 944/1158, 945, 946, 947, कुल किता 9 रकबा 4. 1300 हैक्टेयर ग्राम सोडाला मे वादी का 1/48 हिस्सा है उपरोक्त वर्णित हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार है तदानुसार खाते खतौनी जमाबन्दी इत्यादि राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वाद की ताईद प्रदर्श 1 खाता संख्या नया 33 पुराना 32 प्रदर्श 2 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2052 से 2071 , प्रदर्श 3 खतौनी बन्दोबस्त संवत 2052 से 71 प्रदर्श 4 ग्राम सोडाला के खाता संख्या नया 18 पुराना 15 प्रदर्श 5 मिलान क्षेत्रफल संवत 2052 प्रदर्श 6 खतौनी बन्दोबस्त संवत 2052 से 2071 , प्रदर्श 7 ग्राम बासडा की जमाबन्दी खाता संख्या नया 25 पुराना 22 , प्रदर्श 8 ग्राम बासडा की जमाबन्दी खाता संख्या नया 55 पुराना 33 प्रदर्श 9 ग्राम बासडा की जमाबन्दी खाता संख्या नया 54 पुराना 33 , प्रदर्श 10,11 मिलान क्षेत्रफल संवत 2052, प्रदर्श 12,13,14 जमाबन्दी संवत 2042 प्रदर्श 15 जिला न्यायाधीश दौसा के निर्णय 05.03.2009 की आदेशिका प्रति पेश की गई है। वादी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि हिन्दु मुश्तर्का खानदान के कापार्सनरस सदस्य है वादग्रस्त भूमि हिन्दु खानदान की पुश्तैनी भूमि है। प्रदर्श 2 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2052 से 2071 , प्रदर्श 3 खतौनी बन्दोबस्त प्रदर्श 5 मिलान क्षेत्रफल संवत 2052 प्रदर्श 6 खतौनी बन्दोबस्त संवत 2052 से 2071 ,प्रदर्श 12,13,14 जमाबन्दी संवत 2042 का अवलोकन किया गया वादग्रस्त भूमि वादी के दादा बलवीर को हरिकिशन से प्राप्त हुई है

जो सहदायिक सम्पत्ति होना प्रतीत होती है। प्रतिवादी का कथन है कि हिन्दु कॉपार्सनर सम्पत्ति में पिता के जीवनकाल मे पुत्र को खातेदारी उद्घोषणा कराने का कोई विधिक अधिकार नही है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 और मिताक्षरा कानून पैतृक सपत्ति में पोते का अधिकार उसके जन्म लेते ही सुरक्षित हो जाता है। वह भी अपने पिता और दादा की तरह एक सहदायिक (Coparcener) माना जाता है। इसलिये वह दादा के जिवित रहते हुए भी बंटवारा के लिए दावा कर सकता है। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पैतृक/सहदायिक (Coparcener) है। उक्त तनकी को वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में साबित किया है इसलिये उक्त तनकी वादी के पक्ष मे तय की जाती है।

तनकी संख्या 2 आया वादी भूमि वादग्रस्त जिम्मन नम्बर 3ए लगायत 3 ई का पक्षकारान के मध्य उनके उपरोक्त वर्णित हिस्से अनुसार विधिवत सरस–नरस तकासमा करवाने का अधिकारी है। तनकी संख्या 1 के विवेचन के आधार पर वादग्रस्त भूमि में वादी का हक / हिस्सा बनता है। बहस के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा तकासमा की इसादुआ डिलिट करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर केवल उद्घोषणा करने का निवेदन किया गया है। इसलिये उक्त तनकी का निर्णय नही किया जा सकता है।

तनकी सख्या 3 आया प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है वादी द्वारा पेश दस्तावेजात के आधार पर तनकी संख्या 1 मे विवेचन किया जा चुका है। वादग्रस्त भूमि वादी का हिस्सा बनता है। वादी के हिस्से में आयी भूमि पर प्रतिवादीगण को पाबन्द करवा सकता है। तनकी संख्या 3 वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 4. आया हिन्दु कॉपार्सनर सम्पत्ति मे पिता के जीवन काल में पुत्र को खातेदारी उद्घोषणा कराने का कोई विधिक अधिकार नही है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त तनकी की ताईद में कोई दस्तावेज पेश नही किये गये है। वादी द्वारा पेश दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पत्ति है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 और मिताक्षरा कानून पैतृक सपत्ति में पोते का अधिकार उसके जन्म लेते ही सुरक्षित हो जाता है। वह भी अपने पिता और दादा की तरह एक सहदायिक (Coparcener) माना जाता है। इसलिये वह दादा के जिवित रहते हुए भी बंटवारा के लिए दावा कर सकता है। उक्त तनकी को साबित करने में प्रतिवादी सख्या 1 असफल रहे है।

अनुतोषः– वादग्रस्त भूमि सहदायिक (Coparcener) पैतृक सम्पत्ति है। जिसमे वादी के पिता प्रतिवादी सख्या 2 खुशीराम पुत्र बलवीर के हिस्से में से वादी को उसके हिस्से की भूमि की उद्घोषणा करवाने का अधिकार है। दावा उद्घोषणा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वादी वाद दावा उद्घोषणा का स्वीकार किया जाकर खाता संख्या नया 55 पुराना 33 के खसरा नम्बर 751/434, 754/435 किता 2 रकबा 0.1000 है. ग्राम बासड़ा तथा खाता संख्या नया 54 पुराना 33 के खसरा नम्बर 438, 439, 440,441,442,443, 750/434, 753/435 कुल किता 8 रकबा 3.200 हैक्टेयर वाके ग्राम बासड़ा, खाता संख्या नया 25 पुराना 22 के खसरा नम्बर 260, 261, 261/714, 262, 263,264, 265 ,266, 267, 268,269,286,289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 464, 469, 540, 541, 542 कुल किता 24

कुल रकबा 10.57 ग्राम बासड़ा खाता संख्या नया 33 पुराना 32 के खसरा नम्बर 1172, 1173, 1174, 1175,1178,1179,1180,1189,1249,1250,1251,1258,1259,1260,1261,1262,1263,926,927, कुल किता 19 कुल रकबा 6.98 हैक्टे ग्राम झुपडीन तथा खाता संख्या नया 18 पुराना 15 के खसरा नम्बर 936, 937, 942, 943, 944, 944/1159, 945, 946, 947, कुल किता 9 रकबा 4.1300 हैक्टेयर , ग्राम सोढाला में पैतृक सम्पति होने प्रतिवादी संख्या 1 बलवीर पुत्र हरिकिशन के हिस्से मे से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 2 खुशीराम पुत्र बलवीर का हिस्सा तय किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 वादी के पिता खुशीराम पुत्र बलवीर के हिस्से मे से वादी को 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बांदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे, प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वादी के हिस्से मे आयी भूमि पर किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा न करे। पर्चा डिक्री जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 30.01.2026 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/1/26

(रामसिंह राजावत)

आर.ए.एस

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)

बांदीकुई